

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

दशरथ सिंह वगै० बनाम अरुण सिंह

किस्म मुकदमा-वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 14) सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
२२/०९/२५	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी० जारी हो। पत्रावली दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p> <p>२३/०९/२५ प्राथमिक पत्र पत्रावली तलब कर बाद बिंदी दिने जाने बाबत प्रस्तुत होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता वादी ने प्रापत्र प्रस्तुत कर कथन किमा की प्रकटा के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से समीक्षा हो चुका हो उन प्रश्नकारण बाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए बाद को इसी स्तर पर स्वरिप्त किमा जाने।</p> <p>पत्रावली व प्रस्तुत प्रा.पत्र का अवलोकन किमा जाकर, प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किमा जाता हो एवं बाद वादीगण बिंदी किमा जाता हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	